प्रेस नोट
साइबर जागरूकता अभियान
दिनांक 03.12.2024

ऑपरेशन ''साइबर कवच'' के दृष्टिगत जनपदीय साइबर सेल व को0 नगर हेल्प डेस्ट टीम द्वारा स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज गोण्डा के छात्र/छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक–

साइबर अपराध को इंटरनेट और कंप्यूटर के अवैध उपयोग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। तकनीकी के विकास के चलते अपराधी भी अपराध करने के नये–नये तरीके इजाद कर रहे है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल व इण्टरनेट बैकिंग का प्रयोग कर रहा है। इंटरनेट के प्रयोग किये जाने से जानकारी के अभाव में कई लोग साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद गोण्डा में आमजन को साइबर अपराध से बचाव एवं इससे निपटने के लिये बरती जाने वाली सावधानियों के प्रचार प्रसार हेतु जनपद में ऑपरेशन ''साइबर कवच'' अभियान की शुरूआत की गई है। यह ऑपरेशन दिनांक 27.11.2024 से एक सप्ताह तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक प्रतिदिन विद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर वर्कशॉप एवं गोष्ठियां कर इंटरनेट के माध्यम से हो रहे इन अपराधों के बारे में जानकारी दे रहे है और इंटरनेट के प्रयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में पम्पलेट वितरित कर महत्वपूर्ण स्थानों पर पम्पलेट/पोस्टर चस्पा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

आज अभियान के अंतिम दिन जनपदीय साइबर सेल व को0 नगर की हेल्प डेस्क टीम द्वारा स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज गोण्डा_में छात्र–छात्राओं साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया गया। जनपदीय साइबर सेल के साइबर एक्सपर्ट हरिओम टण्डन द्वारा बच्चों को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाए, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(एक्स), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। किसी भी प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली–भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, बीमा कम्पनी, नौकरी के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। फर्जी लॉटरी

लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें व अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दे। टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। जनपदीय साइबर सेल टीम छात्र/छात्राओं को NCRP portal- https://cybercrime-gov-in की जानकारी दी तथा यह जानकारी अपने घर पर परिवारजनो व आसपास के लोगो को भी साझा करने हेतु बताया गया।

साइबर सुरक्षा टिप्स–

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।
11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 03.12.2024</u>

<u>शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत पैदल गस्त कर आमजनमानस को कराया गया सुरक्षा का एहसास, सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 03.12.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत प्रमुख चौराहों, तिराहों, सर्राफा मार्केट, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों व अन्य चिन्हित स्थानों पर पैदल गस्त कर आमजनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। महोदय द्वारा आमजनमानस से जनसंवाद स्थापित कर शासन के द्वारा जारी गाइडलाइनों से सभी को अवगत कराया तथा सभी से आपसी भाईचारा, शान्तिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की गई साथ ही बताया गया कि संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सर्राफा बाजार, कस्बा, चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष सतर्कता रखते हुए संवेदनशील स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों से निगरानी की जा रही है। आवागमन के मार्गो, संवेदनशील स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों तथा धार्मिक स्थलों के आस–पास प्रभावी मोबाइल पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। जनपद के बार्डर एरिया पर पिकेट लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की संघन चेकिंग की जा रही है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना सोशल प्लेटफार्म पर यदि किसी के द्वारा फैलायी गयी तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया कि यातायात माह नवंबर के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व आमजनमानस को यातायात नियमों को पालन करने हेतु जागरूक करते रहे।

<u>इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ कुमार वर्मा प्र0नि0 को0 नगर श्री संतोष कुमार मिश्रा सहित पुलिस के अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।</u>
<u>मीडिया सेल, गोण्डा</u>